

200/2024

1. हनुमानदास पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा।
2. जगदीश कुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा।
3. रमेशलाल पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा।
4. दलवीरसिंह पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा।
5. कृष्णादेवी पत्नी रामकुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा।
6. किरण पत्नी हरदीप पुत्र रामकुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा।
7. ऋतिक पुत्र हरदीप नाबालिग जरिये माता किरण पत्नी हरदीप जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा।

:-वादीगण

बनाम

1. परमेश्वरी पुत्री उमाराम पत्नी नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना हाल साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
2. सन्तोष पुत्री नत्थूराम पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी साहपुर बेगू हाल निवासी भादरा तहसील भादरा।
3. पूजा पुत्री रामकुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
4. नत्थूराम पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील श्री प्रेमप्रकाश झोरड व वकील प्रतिवादीगण श्री रीटा चौधरी की उपस्थिति में निर्णय हेतु स्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मेही मोजा चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 126/100 के मु0 न0 23 के किला न0 23 व 24, मु0 न0 30 के किला न0 2 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24, मु0 न0 37 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 10, 13 ता 18, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु0 न0 44 के किला न0 1, 2, 9, 10 कुल रकबा 11.132 है0 जिसमें नहरी 10.932 है0, गै0 मु0 खाला 0.125 है0, गै0 मु0 रास्ता 0.075 है0 खातेदारी में प्रतिवादीया परमेश्वरी के नाम 19/22 हिस्सा, व प्रतिवादीया संतोषदेवी के नाम 3/22 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 125/99 के मु0 न0 23 के किला न0 21, 22, मु0 न0 30 के किला न0 1 कुल 0.759 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादीया संतोष देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त दोनों खातों की वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 परमेश्वरीदेवी व सन्तोषदेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 ता 4 कमशः हनुमानदास पुत्र नत्थूराम, जगदीशकुमार पुत्र नत्थूराम, रमेशलाल पुत्र नत्थूराम व दलवीरसिंह पुत्र नत्थूराम को संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर व वादीगण सं0 5 ता 7 कमशः कृष्णादेवी पत्नी रामकुमार, किरण पत्नी हरदीप व ऋतिक पुत्र हरदीप को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण सं0 1 ता 7 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राज. ए. एस.)
भादरा जिला हनुमानगढ़

जलय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

208/2024

1. हनुमानदास पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा।
2. जगदीश कुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा।
3. रमेशलाल पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा।
4. दलवीरसिंह पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा।
5. कृष्णादेवी पत्नी रामकुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा।
6. किरण पत्नी हरदीप पुत्र रामकुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा।
7. ऋतिक पुत्र हरदीप नाबालिग जरिये माता किरण पत्नी हरदीप जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा।

:-वादीगण

बनाम

1. परमेश्वरी पुत्री उमाराम पत्नी नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना हाल साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
2. सन्तोष पुत्री नत्थूराम पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी साहपुर बेगू हाल निवासी भादरा तहसील भादरा।
3. पूजा पुत्री रामकुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
4. नत्थूराम पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी साहपुर बेगू तहसील व जिला सिरसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री प्रेमप्रकाश झोरड वादी
श्री रीटा चौधरी प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 2/7/2025



संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं० 126/100 के मु० न० 23 के किला न० 23 व 24, मु० न० 30 के किला न० 2 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24, मु० न० 37 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 10, 13 ता 18, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु० न० 44 के किला न० 1, 2, 9, 10 कुल रकबा 11.132 है० जिसमें नहरी 10.932 है०, गै० मु० खाला 0.125 है०, गै० मु० रास्ता 0.075 है० खातेदारी में प्रतिवादीया परमेश्वरी के नाम 19/22 हिस्सा, व प्रतिवादीया संतोषदेवी के नाम 3/22 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं० 125/99 के मु० न० 23 के किला न० 21, 22, मु० न० 30 के किला न० 1 कुल 0.759 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादीया संतोष देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 एक ही हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 की भूमि वादभूमि के अलावा सिरसा में भी कृषि भूमि व अन्य चल अचल सम्पत्ति है। सिरसा में स्थित सम्पत्ति को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त रूप से विक्रय कर उक्त वादभूमि को खरीद कर लिया था जिसमें

वादी व प्रतिवादी परमेश्वरीदेवी व संतोषदेवी के नाम से दर्ज करवा दी थी। इस प्रकार उक्त वादभूमि को कोई पारिवारिक सैटलमेंट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा बहिस्सा बराबर के पक्ष में तर्क कर शून्य कर लिया था जिस पर कुल वादभूमि वादीगण सं० 1 व 2 को संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं० 5 व 7 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई परन्तु रिकार्ड माल में उक्त वादभूमि वादीगण सं० 1 व 2 के नाम दर्ज चली आ रही है। जिससे वादीगण के खातेदारी कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद व प्रतिवादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल जकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही विनाय मुखारगत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण 1, 2, 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 3 की ओर से ईक्यालदावा पेश किया गया। व साक्ष्य वादी में वादी हनुमानदास के ब्यान करवाये गये। व साक्ष्य प्रदर्श करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मोजा चक 3 बीआरडब्ल्यू वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं० 126/100 के मु० न० 23 के किला न० 23 व 24, मु० न० 30 के किला न० 2 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24, मु० न० 37 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 10, 13 ता 18, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु० न० 44 के किला न० 1, 2, 9, 10 कुल रकबा 11.132 है० जिसमें नहरी 10.932 है०, गै० मु० खाला 0.125 है०, गै० मु० रास्ता 0.075 है० खातेदारी में प्रतिवादीया परमेश्वरी के नाम 19/22 हिस्सा, व प्रतिवादीया संतोषदेवी के नाम 3/22 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं० 125/99 के मु० न० 23 के किला न० 21, 22, मु० न० 30 के किला न० 1 कुल 0.759 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादीया संतोष देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। उपरोक्त वाद भूमि में वादीगण सं० 1 ता 7 के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वादभूमि बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 का कोई पारिवारिक सैटलमेंट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर शून्य कर लिया था जिस पर कुल वादभूमि वादीगण सं० 1 ता 4 को संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर व वादी सं० 5 ता 7 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मोजा चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं० 126/100 के मु० न० 23 के किला न० 23 व मु० न० 30 के किला न० 2 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24, मु० न० 37 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 10, 13 ता 18, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु० न० 44 के किला न० 1, 2, 9, 10 कुल रकबा 11.132 है० जिसमें नहरी 10.932 है०, गै० मु० खाला 0.125 है०, गै० मु० रास्ता 0.075 है० खातेदारी में प्रतिवादीया परमेश्वरी के नाम 19/22 हिस्सा, व प्रतिवादीया संतोषदेवी के नाम 3/22 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं० 125/99 के मु० न० 23 के किला न० 21, 22, मु० न० 30 के किला न० 1 कुल 0.759 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादीया संतोष देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। उपरोक्त वाद भूमि में वादीगण सं० 1 ता 7 के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वादभूमि बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 का कोई पारिवारिक सैटलमेंट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर शून्य कर लिया था जिस पर कुल वादभूमि वादीगण सं० 1 ता 4 को संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर व वादी सं० 5 ता 7 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 10, 13 ता 18, 23/1, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु० न० 44 के किला न० 1, 2, 9, 10 कुल रकबा 11.25 है जिसमें नहरी 10.932 है०, गै० मु० खाला 0.125 है०, गै० मु० सरता 0.075 है० खातेदारी में प्रतिवादीया परमेश्वरी के नाम 19/22 हिस्सा, व प्रतिवादीया संतोषदेवी के नाम 3/22 हिस्सा जो खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं० 125/99 के मु० न० 23 के किला न० 21, 22, मु० न० 30 के किला न० 1 कुल 0.759 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादीया संतोष देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त दोनों खातों की वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 परमेश्वरीदेवी व सन्तोषदेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं० 1 ता 4 कमशः हनुमानदास पुत्र नत्थूराम, जगदीशकुमार पुत्र नत्थूराम, रमेशलाल पुत्र नत्थूराम व दलवीरसिंह पुत्र नत्थूराम को संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर व वादीगण सं० 5 ता 7 कमशः कृष्णादेवी पत्नी रामकुमार, किरण पत्नी हरदीप व ऋतिक पुत्र हरदीप को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ता 4 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण सं० 1 ता 7 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/7/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Kalpit
 (कल्पित शिवरान)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 मादरा जिला हनुमानगढ़